

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**  
**कुतुब गोल्फ कोर्स**  
**प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017**

एफ1 (40) क्यूजीसी/डीडीए/2011-12/333

दिनांक: 23/04/2022

**नीलामी सूचना-01**

कुतुब गोल्फ कोर्स की यूज्ड ड्राइविंग रेंज बॉल्स की नीलामी नीचे दर्शाई गई तिथि, समय एवं स्थान पर होगी। सामग्री के विवरण का निरीक्षण कुतुब गोल्फ कोर्स की नीलामी स्थल पर कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में गोल्फ कोर्स परिसर में सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को रुपये जमा करने होंगे। 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) बयाना राशि के रूप में नकद/पे ऑर्डर/आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी भी शेड्यूल बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में कुतुब गोल्फ कोर्स में खाता शाखा में जमा किया जाना है जो नीलामी के पूरा होने के बाद वापस किया जाएगा, उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर, जिसे 25 प्रतिशत (नकद / पीओ ऑर्डर / डीडी में) जमा करना होगा। रुपये की बयाना राशि को समायोजित करने के बाद प्रस्तावित राशि + जीएसटी अतिरिक्त। 5,000/- ऐहतियाती राशि के रूप में। मांग/स्वीकृति पत्र या उसके किसी विस्तार के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर 75% की शेष राशि + प्रस्तावित राशि का जीएसटी "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा किया जाएगा। यदि राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी ऐहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली लगाने वाले को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नीलामी का स्थान - कुतुब गोल्फ कोर्स, डीडीए

प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली- 110030

दिनांक और समय - 02.05.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे

आरक्षित मूल्य : रु. 64,000/- (केवल चौंसठ हजार रुपये)

अर्नेस्ट मनी : रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र)

स्थितियाँ:-

1. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
2. कार्य की अवधि और मर्दों को हटाने के दौरान किसी प्रकार की हानि/क्षति/चोट/दुर्घटना होने पर एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी सचिव, क्यूजीसी और ईई (सिविल)/क्यूजीसी के आदेश/निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को उठाएगी।
3. बोली की वैधता नीलामी की तिथि से 30 दिन होगी।

4. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी फोरम के समक्ष प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।
5. एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. यथा लागू जीएसटी अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।
7. सामग्री को उठाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
8. यदि सामग्री निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25% + जीएसटी) जब्त कर ली जाएगी।

**रेजिडेंट इंजीनियर (सिविल)**

**क्यूजीसी/डीडीए**